

प्रेषक,

निदेशक/एस.एल.एन.ए.
नगरीय निकाय उ0प्र0,
8वां तल इन्दिरा भवन,
लखनऊ।

सेवामें,

सहायक महाप्रबन्धक,
रिटेल बैंकिंग ब्रान्च, पंजाब नेशनल बैंक,
विपुल खण्ड, गोमतीनगर,
लखनऊ-226010।

दिनांक: 16 जनवरी, 2015

विषय: जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के यूआईडीएसएसएमटी कार्यान्वयन के एक्सटेन्डेड फेज के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजना हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के यूआईडीएसएसएमटी कार्यान्वयन के एक्सटेन्डेड फेज के अन्तर्गत शासनादेश संख्या - आरएफ. 1417/नौ-9-2014-103आरएफ/1' दिनांक 02 दिसम्बर, 2014 के क्रम में कार्यालय आदेश दिनांक 18.12.2014 द्वारा स्वीकृत धनराशि को UIDSSMT कार्यान्वयन के नोडल खाता संख्या- 4483000100005072 से निम्नानुसार नगर पंचायत कसया के यूआईडीएसएसएमटी योजना के खाते में जमा कराने का कष्ट करें:-

क सं	नगर का नाम	परियोजना का नाम	पंजाब नेशनल बैंक		अन्तरित की जाने वाली धनराशि			
			खाता संख्या	शाखा	केन्द्रांश	राज्यांश	निकाय अंश	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नगर पंचायत कसया (कुशीनगर)	कसया (कुशीनगर) पेयजल पुनर्गठन परियोजना	3875000101197929	कसया	--	--	52.26	52.26
योग					--	--	52.26	52.26

(धनराशि लाख रु में)

(रु. बावन लाख छब्बीस हजार मात्र)

2- कृपया उपरोक्तानुसार धनराशि अन्तरित कराते हुए, निदेशालय को सूचित भी करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पी0 के0 सिंह)
निदेशक।

M/S
सहायक महाप्रबन्धक
19/1/15

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, नगर विकास अनुभाग-5/9, लखनऊ।
- 2- जिलाधिकारी, कुशीनगर, उ0प्र0।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
- 4- बजट अनुभाग-8, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
- 5- टीम लीडर, पी0एम0यू0, नगरीय निकाय निदेशालय उ0प्र0, लखनऊ।
- 6- अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, कसया (कुशीनगर) उ0प्र0, को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत धनराशि संबंधित कार्यदायी संस्था को अवमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें।

(सुखेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक (लेखा)

प्रेषक,

निदेशक / एस.एल.एन.ए.,
नगरीय निकाय उ0प्र0,
8वां तल इन्दिरा भवन,
लखनऊ।

सेवामें,

सहायक महाप्रबन्धक,
रिटेल बैंकिंग ब्रान्च, पंजाब नेशनल बैंक,
विपुल खण्ड, गोमतीनगर,
लखनऊ-226010।

दिनांक: 29 दिसम्बर, 2014

विषय: जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के यूआईडीएसएसएमटी कार्यान्वयन के एक्सटेन्डेड फेज के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजना हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के यूआईडीएसएसएमटी कार्यान्वयन के एक्सटेन्डेड फेज के अन्तर्गत शासनादेश संख्या - 6315/नौ-5-14-265बजट/2013, दिनांक 27 नवम्बर, 2014 के क्रम में कार्यालय आदेश दिनांक 05.12. 2014 द्वारा स्वीकृत धनराशि को UIDSSMT कार्यान्वयन के नोडल खाता संख्या-4483000100005072 से निम्नानुसार नगर निगम गोरखपुर के यूआईडीएसएसएमटी योजना के खाते में जमा कराने का कष्ट करें:-

क्र. सं.	नगर का नाम	परियोजना का नाम	पंजाब नेशनल बैंक		अन्तरित की जाने वाली धनराशि			
			खाता संख्या	शाखा	केन्द्रांश	राज्यांश	निकाय अंश	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	गोरखपुर	नगर निगम, गोरखपुर की पेयजल योजना भाग-2	1875000100283092	जुबली रोड	1932.36	--	--	1932.36
योग					1932.36	--	--	1932.36

(धनराशि लाख रु0 में)

(रु. उन्नीस करोड़ बत्तीस लाख छत्तीस हजार मात्र)

2- कृपया उपरोक्तानुसार धनराशि अन्तरित कराते हुए, निदेशालय को सूचित भी करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पी.के. सिंह)
निदेशक।

M/S
प्रबन्धक
29/12/14

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, नगर विकास अनुभाग-5/9, लखनऊ।
- 2- जिलाधिकारी, गोरखपुर, उ0प्र0।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
- 4- बजट अनुभाग-8, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
- 5- टीम लीडर, पी0एम0यू0, नगरीय निकाय निदेशालय उ0प्र0, लखनऊ।
- 6- नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर उ0प्र0, को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त खाते से धनराशि आहरण से पूर्व सम्बन्धित बैंक खाते के संचालन की समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए प्रश्नगत धनराशि संबंधित कार्यदायी संस्था को अवमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें।

(सुखेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक (लेखा)

प्रेषक,

निदेशक/एस.एल.एन.ए,
नगरीय निकाय उ0प्र0,
8वां तल इन्दिरा भवन,
लखनऊ।

सेवामें,

सहायक महाप्रबन्धक,
रिटेल बैंकिंग ब्रान्च, पंजाब नेशनल बैंक,
विपुल खण्ड, गोमतीनगर,
लखनऊ-226010।

दिनांक: 22 दिसम्बर, 2014

विषय: जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के यूआईडीएसएसएमटी कार्यान्वयन के एक्सटेन्डेड फेज के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजना हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के यूआईडीएसएसएमटी कार्यान्वयन के एक्सटेन्डेड फेज के अन्तर्गत क्रमशः शासनादेश संख्या-4341/नौ-5-14-182बजट/2013, दिनांक 21 अक्टूबर, 2014, शासनादेश संख्या-5184/नौ-5-14-189बजट/2013, दिनांक 27 अक्टूबर, 2014 सपठित शासनादेश दिनांक 10.11.14 के क्रम में कार्यालय आदेश दिनांक 31.10.2014 सपठित कार्यालय आदेश दिनांक 17.11.14 द्वारा स्वीकृत धनराशि को, UIDSSMT कार्यान्वयन के नोडल खाता संख्या- 4483000100005072 से निम्नानुसार सम्बन्धित निकाय के यूआईडीएसएसएमटी योजना के खाते में जमा कराने का कष्ट करें:-

(धनराशि लाख रू० में)

क सं	नगर का नाम	परियोजना का नाम	पंजाब नेशनल बैंक		अन्तरित की जाने वाली धनराशि			
			खाता संख्या	शाखा	केन्द्रांश	राज्यांश	निकाय अंश	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नगर पंचायत कसया (कुशीनगर)	कसया (कुशीनगर) पेयजल पुनर्गठन परियोजना	3875000101197929	कसया	418.09	49.306	--	467.396
2	नगर पंचायत अमेठी (अमेठी)	नगर पंचायत अमेठी पेयजलापूर्ति परियोजना	4483000100029889	अमेठी	399.87	45.57	--	445.44
योग					817.96	94.876	--	912.836

(₹ नौ करोड़ बारह लाख तिरासी हजार छः सौ मात्र)

उक्त धनराशि उपरोक्तानुसार अन्तरित कराते हुए, निदेशालय को सूचित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पी.के. सिंह)
निदेशक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, नगर विकास अनुभाग-5/9, लखनऊ।
- 2- जिलाधिकारी, कुशीनगर/अमेठी, उ0प्र0।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
- 4- बजट अनुभाग-8, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
- ✓ 5- टीम लीडर, पी0एम0यू0, नगरीय निकाय निदेशालय उ0प्र0, लखनऊ।
- 6- अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, कसया (कुशीनगर)/नगर पंचायत अमेठी (अमेठी), उ0प्र0, को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त खाते से धनराशि आहरण से पूर्व सम्बन्धित बैंक खाते के संचालन की समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए प्रश्नगत धनराशि संबंधित कार्यवाही संस्था को अवमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें।

(सुखेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक (लेखा)

प्रेषक,

निदेशक / एस.एल.एन.ए,
स्थानीय निकाय, उ0प्र0,
8वां तल इन्दिरा भवन,
लखनऊ।

सेवा में,

सहायक महाप्रबन्धक,
रिटेल बैंकिंग ब्रान्च, पंजाब नेशनल बैंक,
विपुल खण्ड, गोमतीनगर,
लखनऊ-226010।

दिनांक: 10 अक्टूबर, 2014

विषय: जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के यूआईडीएसएसएमटी कार्यान्वयन के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजना हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के यूआईडीएसएसएमटी कार्यान्वयन के अन्तर्गत शासनादेश संख्या- आरएफ.514/नौ-9-2014-103आरएफ/11 दिनांक 01 सितम्बर, 2014 के क्रम में कार्यालय आदेश दिनांक 16.09.14 द्वारा स्वीकृत धनराशि को UJDSSMT कार्यान्वयन के नोडल खाता संख्या- 4483000100005072 से निम्नानुसार संबंधित निकाय के यूआईडीएसएसएमटी योजना के खाते में जमा/अन्तरण कराने का कष्ट करें:-

क सं	नगर का नाम	परियोजना का नाम	पंजाब नेशनल बैंक		अन्तरित की जाने वाली धनराशि			
			खाता संख्या	शाखा	केन्द्रांश	राज्यांश	निकाय अंश	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अमेठी	अमेठी पेयजल योजना	4483000100029889	अमेठी मुख्य शाखा	--	--	49.98	49.98
2	औरैया	औरैया पेयजल योजना	4483000100029074	मुख्य शाखा	--	--	206.04	206.04
योग							256.02	256.02

(धनराशि लाख रू0 में)

2- उक्त धनराशि उपरोक्तानुसार अन्तरित कराते हुए, निदेशालय को सूचित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पी.के. सिंह)
निदेशक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, नगर विकास अनुभाग-5/9, लखनऊ।
- 2- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
- 4- बजट अनुभाग-8, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
- 5- टीम लीडर/एम आई एस एक्सपर्ट. पी0एम0यू0, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
- 6- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, औरैया, उ0प्र0, को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत धनराशि संबंधित कार्यदायी संस्था को अवमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें।
- 7- अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, अमेठी, जनपद अमेठी, उ0प्र0, को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त खाते से धनराशि आहरण से पूर्व सम्बन्धित बैंक खाते के संचालन की समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए प्रश्नगत धनराशि संबंधित कार्यदायी संस्था को अवमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें।

(सुखेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक (लेखा)

प्रेषक,

निदेशक (एसएलएनए),
नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0,
8वाँ तल, इन्दिरा भवन,
लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य प्रबन्धक,
रिटेल ब्रान्च, पंजाब नेशनल बैंक,
विपुल खण्ड, गोमतीनगर,
लखनऊ।

लखनऊ: दिनांक 11/10/14

विषय: जे.एन.एन.यूआरएम. योजना के यूआई.जी. एवं यूआई.डी.एस.एस.एम.टी. कार्यान्वयन के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

जेएनएनयूआरएम योजना के यूआई.जी. एवं यूआई.डी.एस.एस.एम.टी. कार्यान्वयन से सम्बन्धित शासनादेश संख्या आरएफ. 413/नौ-9-2014-103 आरएफ/11, दिनांक 01 सितम्बर, 2014 के क्रम में निदेशालय के कार्यालय आदेश संख्या पीएमयू/861/124(5)/जेएनएनयूआरएम/2014, दिनांक 05 सितम्बर, 2014 द्वारा स्वीकृत धनराशि को कृपया निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ पदनाम से आपकी शाखा में खुले जे.एन.एन.यूआरएम. कार्यक्रम के यूआई.जी. नोडल खाता सं0 4483000100005054 तथा यूआई.डी.एस.एस.एम.टी. नोडल खाता सं0 4483000100005072 से निम्नानुसार संबंधित निकायों के खाते में अन्तरित कराने का कष्ट करें:-

(धनराशि लाख रु. में)

क्र.	निकाय का नाम	योजना का नाम	अनुमोदित / पुनरीक्षित लागत	पंजाब नेशनल बैंक विपुल खण्ड गोमती नगर की खाता संख्या जिससे धनराशि अन्तरित की जानी है	पंजाब नेशनल बैंक का विवरण जिसमें धनराशि अन्तरित की जानी है		अन्तरित की जाने वाली निकायांश की धनराशि
					खाता संख्या	शाखा का नाम	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वाराणसी	पेयजलापूर्ति प्रायर्षि-1, फेज-2	8610.00/11050.85	4483000100005054	4141000100430790	पाण्डेयपुर	732.255
2	रायबरेली	पेयजलापूर्ति योजना	10618.46	4483000100005072	4483000100029065	मुख्य शाखा	530.92
योग							1263.175

(रु. बारह करोड़ तिरसद् लाख सत्रह हजार पांच सौ मात्र)

2- उक्त धनराशि उपरोक्तानुसार अन्तरित करते हुए निदेशालय को भी सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

/

(पी0के0सिंह)
निदेशक (एस.एल.एन.ए)

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, नगर विकास अनुभाग-5/9, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 2- सचिव, उ0प्र0 शासन, वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, लखनऊ।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
- 4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी उ0प्र0।
- 5- टीम लीडर/एमआईएस एक्सपर्ट, पी.एम.यू., नगरीय निकाय निदेशालय, उ.प्र. लखनऊ।
- 6- नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी/अधिशाली अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, रायबरेली उ.प्र. को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 7- बजट अनुभाग-8, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ.प्र. लखनऊ।

(सुखेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक (लेखा)

प्रेषक,

निदेशक/एस.एल.एन.ए,
स्थानीय निकाय, उ0प्र0,
8वां तल इन्दिरा भवन,
लखनऊ।

सेवामें,

सहायक महाप्रबन्धक,
रिटेल बैंकिंग ब्रान्च, पंजाब नेशनल बैंक,
विपुल खण्ड, गोमतीनगर,
लखनऊ-226010।

दिनांक: 17 अप्रैल, 2014

विषय: जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के यूआईडीएसएसएमटी कार्यान्वयन के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजना हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के यूआईडीएसएसएमटी कार्यान्वयन के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-7054/नौ-5-13-179बजट/2013, दिनांक 24 फरवरी, 2014, 7075/नौ-5-13-178 बजट/2013, दिनांक 24 फरवरी, 2014, 6827/नौ-5-13-165बजट/2013, दिनांक 28 फरवरी, 2014 व आरएफ. 102/नौ-9-2014-103आरएफ/11टी.सी. दिनांक 19 मार्च, 2014 के क्रम में क्रमशः कार्यालय आदेश दिनांक 07.03.14 व 24.03.14 द्वारा स्वीकृत धनराशि को, UIDSSMT कार्यान्वयन के नोडल खाता संख्या-4483000100005072 से निम्नानुसार संबंधित निकाय के यूआईडीएसएसएमटी योजना के खाते में जमा कराने का कष्ट करें:-

(धनराशि लाख रू० में)

क्र.सं.	नगर का नाम	परियोजना का नाम	पंजाब नेशनल बैंक		अन्तरित की जाने वाली धनराशि			
			खाता संख्या	शाखा	केन्द्रांश	राज्यांश	निकाय अंश	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रायबरेली	पेयजल पुनर्गठन	4483000100029065	मुख्य शाखा	4247.39	530.92	--	4778.31
2	सुल्तानपुर	पेयजल पुनर्गठन	4483000100029083	मुख्य शाखा	1347.72	168.47	168.47	1684.66
3	औरैया	पेयजल पुनर्गठन	4483000100029074	मुख्य शाखा	1648.35	206.04	--	1854.39
योग					7243.46	905.43	168.47	8317.36

(₹ तिरासी करोड़ सत्रह लाख छत्तीस हजार मात्र)

2- उक्त धनराशि उपरोक्तानुसार अन्तरित कराते हुए, निदेशालय को सूचित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नरेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, नगर विकास अनुभाग-5/9, लखनऊ।
- 2- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
- 4- बजट अनुभाग-8, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
- 5- टीम लीडर/एम आई एस एक्सपर्ट. पी0एम0यू0, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
- 6- संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उ0प्र0, को इस आशय से प्रेषित कि -
 - क. उपरोक्त खाते से धनराशि आहरण से पूर्व सम्बन्धित बैंक खाते के संचालन की समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए प्रश्नगत धनराशि संबंधित कार्यदायी संस्था को अवमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें।
 - ख. आदर्श चुनाव आचार संहिता के अन्तर्गत निहित प्राविधानों का अक्षरशः पालन करते हुए अवमुक्त धनराशि व्यय की जाय एवं यदि किन्हीं प्रतिबन्धों के विचारन की आवश्यकता हो तो चुनाव आयोग को पूरी स्थिति से अवगत कराते हुए पूर्व अनुमति/स्पष्टीकरण अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाये।

(सुखेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक (लेखा)